मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 3670/22/वि–12/FA/सरकुलर/2018   भोपाल, दिनांक 21/02/2018

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई.............................
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
जिला .... (म.प्र.)।

विषयः–अंतिम देयक के निराकरण से पूर्व अंतिम समयवृद्धि स्वीकृति बाबत।

––00––

यह देखा गया है कि महाप्रबंधको द्वारा कार्य में हुए विलंब के लिए Liquidated damages निर्धारण कराए बगैर, Liquidated damages की राशि रोक कर, अंतिम देयक का निराकरण कर देते है तथा उसके बाद लम्बे समय तक अंतिम समयवृद्धि एवं Liquidated damages निर्धारण प्रकरण मुख्यालय को नहीं भेजते है जो अवांक्षनीय है। अंतिम देयक के निराकरण पश्चात Liquidated damages निर्धारण पर माननीय आर्बीट्रेशन ट्रिब्युनल द्वारा भी आपत्ति ली गई। अतः भविष्य में Liquidated damages निर्धारण किए बगैर ठेकेदारों के अंतिम देयक का निराकरण न किया जाय। कंसलटेन्ट को भी निर्देश दिए जाय कि कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व ठेकेदार से निर्धारित प्रारूप में अंतिम समयवृद्धि आवेदन प्राप्त कर ले तथा कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ ही अपनी अनुशंसा सहित अंतिम समयवृद्धि प्रकरण भी पी.आई.यू. में प्रस्तुत करें।

भविष्य में उपरोक्तानुसार आवेदन प्राप्त कर तुरत प्रकरण मुख्यालय भेजने की कार्यवाही की जाय तथा अंतिम समयवृद्धि स्वीकृत एवं Liquidated damages निर्धारण पश्चात ही ठेकेदार के अंतिम देयक का निराकरण किया जाय। लंबित समस्त अंतिम समयवृद्धि प्रकरण दिनांक 05.03.2018 तक भेजने की व्यवस्था करें।

इन निर्देशों का भविष्य में कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(एम.के. गुप्ता) 19/2/18
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल

पृ.क्रमांक 3671/22/वि–12/FA/सरकुलर/2018   भोपाल, दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपिः–

समस्त मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल